

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2015/271

दिनांक : 21/9/15

निविदा सूचना संख्या 1/2015-16

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए निविदा पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर फोटोस्टेट कार्य करने हेतु अनुभवी फर्मों से मोहरबंद दोहरे लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित कार्य राशि 20.00 लाख रुपये है।
3. निविदाएं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करनी होगी जो कि निविदा प्रकाशन दिनांक से 15.10.2015 को मध्याह्न 1:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में 500/- रुपये जमा कराकर प्रभारी अधिकारी, भण्डार अनुभाग (मुख्यालय) से प्राप्त की जा सकती है।
4. पूर्ण निविदा मोहरबंद लिफाफे पर निविदा पर फोटोस्टेट कार्य अंकित कर भण्डार अधिकारी, भण्डार अनुभाग (मुख्यालय) के पास दिनांक 15.10.2015 को सायं 4.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ अमानत राशि 40000/- रुपये (चालीस हजार रुपये) जमा रसीद या निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. के रूप से धरोहर राशि जमा करानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा का पूर्ण विवरण निविदा दस्तावेजों में अंकित है, जिसकी जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) को होगा। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 15.10.2015 सायं 5.00 बजे गठित कमेटी के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

निविदा प्रपत्र

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा आधार पर फोटो स्टेट कार्य के लिए निविदा
2. निविदा दाता का नाम एवं पत्राचार का स्थाई पता.....
.....
3. निविदा सूचना संख्या:- क्रमांक : स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2015/..... दिनांक:.....
4. निमित्त-निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. निविदा फार्म शुल्क राशि
रु. 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) नकद रसीद/डीडी संख्या दिनांक:.....
द्वारा जमा कराई जा चुकी है जो संलग्न है।
6. अमानत राशि रुपये 40000/- बैक चैक/डी.डी./विभागीय रसीद संख्या..... दिनांक:
द्वारा जमा कराई जा चुकी है जो संलग्न है।
7. निविदा में दी गई दरों की वैधता की अवधि 3 माह तक मान्य है।
8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त वर्णित निविदा सूचना एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रसारित शर्तें जो निविदा के साथ संलग्न हैं, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तों संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
9. फोटो स्टेट कार्य के लिए हमारी दरें वित्तीय बिड के अलग लिफाफे में प्रेषित हैं।
10. निविदा के अर्न्तगत वांछित दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां संलग्न हैं।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म की मोहर

पता दूरभाष नम्बर

TECHNICAL BID

Two Bids in separate sealed envelopes for Part- A Technical Bids, should be filled and duly marked **"Technical Bid for Photocopying works"** and submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624, 0141-2388059		
3	A.Tender form can be obtained upto B. Tender form can be submitted upto	Date	Time	Place
		15.10.2015	1.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur
		15.10.2015	4.00 pm	Basement
4	Opening of Tender for :- Technical Bids	15.10.2015	5.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Basement

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Signature of Tenderer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
TECHNICAL BID

Tender for Photo Copying works

1. Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s
2. Constitution of Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
3. Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)	
4. Email Id	

5. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
6. Photo state Machines will be installed with immediate effect from the date of issue of order.
7. The availability of No. of Photo state Machines in Year 2015 give detail. Make, Model High speed machine 60 to 100 copies per minute.

Signature of Tenderer

विशिष्ट शर्तें

टिप्पणी :- निविदादाताओं को निविदा की सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. दरें प्रति फोटोकॉपी के हिसाब से अलग-अलग साईज की प्रस्तुत करनी होगी।
2. प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार का व्यय (सामग्री तथा टोनर, कागज इत्यादि) सम्मिलित होगा। किसी अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
3. फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी एवं नियमानुसार आयकर कटौती की जावेंगी।
4. भुगतान प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर देय होगा। किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
5. अधिकृत अधिकारी द्वारा इण्डेंट के अनुसार उसी, समय फोटोकॉपी कार्य कर उपलब्ध कराना होगा।
6. महत्वपूर्ण एवं गोपीय दस्तावेजों की फोटोस्टेट सम्बन्धित कर्मचारी को साथ ही करके देनी होगी।
7. फोटोस्टेट का कार्य सामान्यतया कार्यालय समय पर ही कराया जावेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियां राजकीय कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्यालय समय से पूर्व/बाद में तथा राजकीय अवकाशों के दिवस में भी फोटोस्टेट कार्य कर उपलब्ध कराना होगा।
8. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर भुगतान में कटौती या अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई लिखित नोटिस/सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी। *
9. कार्यालय द्वारा केवल स्थान व बिजली उपलब्ध कराई जावेगी।
10. फोटोस्टेट पेपर 80 जीएसएम अथवा इसके समकक्ष उत्कृष्ट कागज उपयोग में लेना होगा।
11. फोटोस्टेट मशीन में Enlargements/Reduction की सुविधा होना अनिवार्य हैं।
12. कार्यालय में निजी फोटोकॉपी कार्य संधारित नहीं किया जावेगा।
13. छाया प्रतिलिपी में दाग-धब्बे नहीं होने चाहिए अन्यथा खराब प्रति निकालने पर कोई राशि देय नहीं होगी।
14. मशीन के खराब एवं स्टेण्डबाय नहीं होने की स्थिति में बाजार से किये जाने वाले फोटो कार्य पर हाने वाले व्यय एवं आने जाने के किराये का भुगतान फर्म द्वारा वहन करना होगा।
15. अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये इण्डेंट के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा तथा इस बाबत फर्म द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रनुसार एक रजिस्टर का संधारण करना होगा।
16. कागज के दोनों तरफ फोटो कार्य बाबत इण्डेंट में स्पष्ट उल्लेख होना पर ही भुगतान देय होगा अन्यथा एक तरफ की दर ही भुगतान हेतु मान्य होगी।
17. फर्म की फोटो कार्यकी क्षमता प्रतिदिन कम से कम 2000 प्रतियों की होगी, जिसमें बढ़ोतरी अथवा कमी हो सकती हैं।
18. निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं।

संविदा आधार पर फोटो स्टेट कार्य के लिये निविदा की सामान्य शर्तें

नोट :- निविदाकार इस शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं समझ लें। यदि किन्हीं शर्तों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जाये तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग से लिखित में समुचित स्पष्टीकरण जारी किये जाने का अनुरोध करें निविदा प्राप्ति के बाद किसी भी शर्त पर निदेश (जन स्वास्थ्य) का निर्णय अन्तिम होगा एवं वह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

1. निविदा प्रस्तुत किये जाने के बाद फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता विभाग अधिकारी को लिखित में देगा तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बिड हैं। निविदाकार द्वारा सभी निविदा प्रपत्रों/शर्तों/प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की सील तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को अलग-अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाये। वित्तीय बिड के लिफाफे में केवल वित्तीय बिड ही रखी जाकर सीलबंद की जानी है, अन्य समस्त दस्तावेज, अनुलग्नक तकनीकी बिड लिफाफे में रखे जायें। दोनों लिफाफों पर यथा अनुरूप "वित्तीय बिड" अथवा "तकनीकी बिड" लिखा जाये। सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने की तिथि, समय, निविदाकार का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। कृपया ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती हैं तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में निम्न शामिल हैं—
 - (i) यथा निर्धारित रूप में पूर्ण धरोहर राशि (Earnest Money)
 - (ii) निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर सहित निविदा प्रपत्र।
 - (iii) निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र (एस0आर0 11)
 - (iv) बिक्रीकर/सेवाकर/टीन नं./पेन कार्ड/ फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र
 - (v) गत दो वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र

नोट— जिन निविदाकारों की तकनीकी निविदा सारवान/योग्य (Substantial and responsive) पायी जावेगी, उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

4. तृतीय निविदा – यह निर्धारित प्रारूप में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों का विवरण है। दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिये। तृतीय निविदा में निविदाकार के दिनांक सहित पूरे हस्ताक्षर होने चाहिये। इसमें दों के विवरण के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं रखा जावेगा। इस निविदा में किसी निविदाकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें अंकित कर दी जाती है तो उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा।
5. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। सामान्यतया अतिरिक्त शर्तों/प्रतिशर्तों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, यदि कोई अतिरिक्त/प्रतिशर्त विभागीय हित में देखी जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।
6. दरें कागज एवं समस्त प्रकार के खर्चों सहित होगी। अनुबन्ध की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेगी।
7. कागज के एक तरफ फोटोकॉपी करने एवं दोनों तरफ फोटो कॉपी करने हेतु दरें पृथक-पृथक होनी चाहिये दी गयी दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कर आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. फोटोकॉपियों हेतु (80 GSM) का उत्कृष्ट कागज ही प्रयोग किया जावेगा। अन्य कागज काम में लिये जाने पर दरों में अनुपातिक कटौती करने हेतु विभाग अधिकृत होगा। फोटो स्टेट हेतु उपयोग में लिए जाने वाले कागज का नमूना (साइज 215x342mm साइज 210x297mm A-4) तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदाकार फर्म के गत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य हैं, जिसका प्रमाण तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. निविदा के साथ यदि जानबूझ कर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसी निविदा को निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा किसी भी स्तर व समय पर सुनवाई का अवसर देकर निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये विभाग द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जावेगा। साथ ही प्रवर्तन विधि के अन्तर्गत ऐसे निविदाकार के विरुद्ध अन्य समुचित कार्यवाही भी की जावेगी।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में विभाग के साथ निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
12. फोटो कापियां सही एवं स्वच्छ होने पर ही निविदादाता को मासिक रूप से भुगतान किया जावेगा। माह की समाप्ति पर फर्म/निविदादाता बिल तीन प्रतियों में निदेशक (जन स्वा.) के नाम प्रस्तुत करेगा।
13. निविदा स्वीकृति के पश्चात यदि निविदादाता निर्धारित समय में फोटोकॉपियां उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसकी प्रतिभूति राशि पूर्ण/आंशिक रूप से जब्त कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को फोटोकॉपी सेवायें सामान्यतः प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक प्रदान करनी होगी। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त समय में भी सेवायें देना आवश्यक होगा।

14. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवायें निदेशक (जन स्वा.) द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुसार संतोषजनक होनी चाहिए।
15. संविदा की अवधि संविदा किये जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी। अनुबन्धकर्ता की सेवायें संतोषप्रद होने पर अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से 6 माह तक और बढ़ाई जा सकती हैं।
16. अनुबन्ध अवधि के दौरान सेवायें असंतोषप्रद रहने की दशा में विभाग द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग पर पड़ने वाले वित्तीय भार निविदा दाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि से वहन किया जावेगा।
17. फोटो स्टेट मशीनों की स्थापना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, निदेशालय (स्वास्थ्य भवन), में विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर की जावेगी। मशीनों का विद्युत व्यय विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
18. निविदादाता को एक पंजिका का संधारण करना होगा जिसमें प्रत्येक दिन की गई फोटो प्रतियों का इंड्राज होगा जिस पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे एवं अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा।
19. निविदादाता किसी भी पत्र/पत्रादि की अतिरिक्त प्रति अन्य प्रयोजनार्थ नहीं निकालेगा न ही अपने पास रखेगा। इस शर्त की पालना के प्रभाव में अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
20. निविदादाता को फोटो स्टेट की नवीनतम मशीनें विभाग में लगानी होगी, जिसकी क्षमता प्रति मिनट 60 से 100 कॉपी होनी चाहिए।
21. निदेशक (जन स्वा.) को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग का कोई सरोकर नहीं होगा।
22. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालयों में ही विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
23. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
24. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र:— कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से नवीनतम बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

25. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
26. दर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।
27. (i) दरों की तुलना:— राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदात जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।
- (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
28. विधिमान्यता:— निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
29. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
30. निरीक्षण:—
- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
- (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
31. बयाना राशि (अनेस्ट मनी) :— (क) निविदा के साथ 40,000/-रु. (रुपये चालीस हजार मात्र) की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (i) नकद — बजट शीर्ष "8443" — सिविल निक्षेप— 103 प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान में जमा कराया जाना चाहिए।
- (ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक।
32. निविदादाता करार का निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में फर्म का पंजीयन।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

33. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
34. समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
35. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करे। यदि किसी प्रपत्र की गोपनीयता भंग होती है तो फर्म की निविदा स्वतः ही निरस्त कर दी जायेगी। तथा फर्म के विरुद्ध आरटीपीपी एक्ट 2013 एवं रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
36. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जावेगी,

अर्थात् :-

- (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;
- (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
- (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;
- (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

37. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि निविदा की अंतिम तिथि के 90 दिन तक के लिए होगी।

38. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
39. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमोंग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
40. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

41. निविदा की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, एवं RTPP ACT-एवं RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।

42. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):—बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये।
नोटिस -

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण" अंकित हो; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियाँ, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

43. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

44. हित का विरोध (Conflict of interest):-

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
 - (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश बरहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

45. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमंचित कार्रवाई कर सकेगी।

46. The Designation and address of the First Appellate Authority is Joint Seceratry Medical & Health (Group-II) Dept., Rajasthan Jaipur, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

**Signature of Tenderer
with Rubber Stamp**

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur

SR Form 11

Declaration by Tenderer

We hereby declare that we are Bonafide Service provider for photostate service of all kinds for which we have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of Tenderer
with Rubber Stamp

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
FINANCIAL BID

1. Details of Bidder

(A) Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s
(B) Constitution of the Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
(C) Telephone Numbers	
(D) Mobile Numbers	
(E) Email Id	

Signature of Tenderer

2. Rate for Photostate Work

S.No.	Size of Photo Stat Paper	Rate per copy (In Figure/ In Words)	
		Single side	Both Side
(1)	A-4 Size		
(2)	Full Size		

3. Photo State machines will be installed with immediate effect from the date of issue of order.
4. The rate quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.
5. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

Signature of Tenderer
With Rubber Stamp